

दिनांक 14.09.2018 को 12:00 बजे पूर्वाह्न में हुई बोर्ड की 389वीं साधारण बैठक की कार्यवाही:-

निम्नलिखित उपस्थित सदस्य

1.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग -सह-अध्यक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,पटना	अध्यक्ष
2.	अपर वित्त आगुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,पटना	सदस्य

-: कार्यवाही :-

1.बजट		
क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय
I	बिहार में खादी के विकास करने के उद्देश्य से गठित Project Management Agency (PMA) पर वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में व्यय होने वाले राशि कमशः 2.33 एवं 3.33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति।	एक साथ बजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।
II	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी संस्था/समितियों को आधुनिक न्यू मॉडल 08-तकुएँ चरखा/कटिया चरखा/करघा एवं कार्यशील पूँजी हेतु रु0 12,28,13,125.00 (बारह करोड़ अठाईस लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	एक साथ बजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।
III	वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार के खादी संस्था/समितियों द्वारा बिहार में उत्पादित माल के उत्पादन पर 10% छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु0 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	एक साथ बजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।
IV	वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार के खादी संस्था/समितियों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग अन्तर्गत विभिन्न शिल्पों का अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हेतु 2.00 (दो करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	एक साथ बजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।

V	प्रस्थापन से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 के सहायक वजट के अनुरूप 1,21,03,001.00 रुपये सहायक अनुदान की अप्राप्त राशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्थापन वजट की स्वीकृति देना।	एक साथ वजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।
VI	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक वार्षिक लेखा अनुमोदन।	एक साथ वजट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय।
2.स्थगना		
I	श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, खातापाल को CWJC No-8682/2014 दिनांक-18.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में सहायक लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए स्वीकृति देना।	श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, खातापाल को CWJC No-8682/2014 दिनांक-18.03.2015 के आदेश के आलोक में सहायक लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने पर निर्णय लिया गया कि खातापाल का वेतनमान 4000-6000 को प्रथम प्रोन्नति कनीय अंकेक्षण पदाधिकारी वेतनमान 4500-7000 एवं द्वितीय प्रोन्नति वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी वेतनमान 5000-8000 तथा तृतीय प्रोन्नति सहायक लेखा पदाधिकारी वेतनमान 6500-10500 बनता है। सहायक लेखा पदाधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पदाधिकारी के समकक्ष का पद है। श्री गुप्ता अगले पद कनीय अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए भी सक्षम नहीं है। सरकार द्वारा सहायक लेखा पदाधिकारी का दो पद स्वीकृत है। श्री गुप्ता पर आदेश अवहेलना, अनाधिकृत अनुपस्थित एवं स्वेच्छाचारिता के लिए विभागीय कार्रवाई चलाई गई। विभागीय कार्रवाई में उनके विरुद्ध तीनों आरोप प्रमाणित पाया गया। इसलिए श्री गुप्ता को प्रोन्नति पाने के योग्य नहीं रहने के कारण प्रोन्नति के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।
II	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए घुघरीटाड़, गया, छपरा एवं भागलपुर का बोर्ड का जमीन 3000 वर्गफीट एक तरफ से 30 वर्षों के लिए लीज पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	राजस्व भूमि सुधार विभाग से गन्तव्य प्राप्त किया जाय।

III	श्री शशीभ कुमार झा, निजीकार (निलंबित) के निरुद्ध आरोपों का जॉन प्रतिवेदन पर निर्णय लेने की स्वीकृति देना।	स्थापना समिति में रखा जाय।
IV	अनुमत्या के आधार पर नियुक्ति करने की स्वीकृति देना।	विचार-विमर्श के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
V	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एस.पी.) स्वीकृति देने की स्वीकृति देना।	वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त किया जाय।
VI	श्री शशी कुमार स्वीपर (दैनिक पारिश्रमिक) को स्वीपर के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति करने की स्वीकृति देना।	बोर्ड द्वारा रिक्त स्वीपर के पद पर समायोजन करने का प्रस्ताव को पहले स्थापना समिति के समक्ष रखा जाय।
VII	श्री जय प्रकाश पंडित, प्रतिनियुक्त गाड़ी चालक को खादी बोर्ड में गाड़ी चालक के रिक्त पद पर समायोजन करने की स्वीकृति देना।	बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त चालक को चालक पद पर समायोजन करने का प्रस्ताव को पहले स्थापना समिति के समक्ष रखा जाय।
VIII	खादी स्कूल के गठन एवं निर्माण की स्वीकृति देना।	बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।
IX	बिहार खादी नीति-2018 का अनुमोदन देना।	बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।
X	बिहार में खादी के विकास करने के उद्देश्य से Project Management Agency (PMA) की नियुक्ति का अनुमोदन।	सम्पुष्ट की गई एवं इसी रिकॉर्ड में लाया गया।
XI	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा सुमो मोल्ड वाहन कय का घटनोत्तर स्वीकृति देना।	घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
XII	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा खादी बिक्री सह प्रदर्शनी प्रचार वाहन टाटा IPT-107 कय का घटनोत्तर स्वीकृति देना।	घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

3. मत बैठक के बाद लिए गये निर्णय को रिकॉर्ड में लाना एवं सम्पुष्ट करना

I	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
II	खादी पुनरुद्धार योजना के तहत बिहार अवस्थित खादी संस्था/समितियों को चरखा वितरण की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।

III	खादी पुनरुद्धार योजना के तहत बिहार अवस्थित खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी एवं लूम उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
IV	बिहार अवस्थित खादी संस्था/ समितियों को कटिया चरखा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
V	गिफ्ट, पटना को फैशन डिजाईनिंग के लिए राशि की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
VI	खादी मेला/प्रदर्शनी राज्य स्तरीय लगाने की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
VII	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
VIII	उत्पादन के आधार पर खादी संस्थाओं को रिवेट की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
IX	साबुन उद्योग में प्रशिक्षण की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
X	हाथ-कागज केन्द्र उद्योग में प्रशिक्षण की स्वीकृति देना।	रिकॉर्ड में लाया गया।
XI	जीविका समूह को भी प्रशिक्षण देकर खादी कार्य से जोड़ने की स्वीकृति देना।	बोर्ड की इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
4. अध्यक्ष के अनुमति से अग्नान्य विषय		
1	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना समिति का गठन करना।	बोर्ड के स्थापना समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया :- 1. उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना, सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), उद्योग विभाग सदस्य 4. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना, सदस्य
2	वर्ष 2018 में पटना राष्ट्रीय स्तर का खादी प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन एवं प्रमण्डल/जिला स्तर पर खादी प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
3	खादी बोर्ड द्वारा online बिक्री करने हेतु Amazon से एकरारनामा करने की स्वीकृति देना।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

4	मुगैर में मधु प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की स्वीकृति देना।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
5.	खादी का Buyer and Seller Meet/Khadi Promotional Campaign आयोजित करने का प्रस्ताव।	अक्टूबर, 2018 में कैरल, तमिलनाडू में Buyer and Seller Meet/Khadi Promotional Campaign आयोजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। अन्य स्थानों पर भी इस तरह का आयोजन किया जाय।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रधान सचिव

-सह- अध्यक्ष

ज्ञापक- प्र/436

पटना, दिनांक- 01/10/2018

प्रतिलिपि :- उपरोक्त सभी सदस्यगण/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/G.T. India LLP Patna/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०)/राभी सहायक लेखा पदाधिकारी/जगस्थापक, खादी भवन, पटना/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी